बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–9 / उपा0 / बीज / विविध –25 / 2014– 1557 / कृ0, पटना, दिनांक–27-3-2015

प्रेषक,

प्रभु राम
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) **अनौपचारिक रूप** द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)
से परामर्शित।

विषय : **केन्द्रीय योजना "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल" अन्तर्गत बीज ग्राम योजना रबी 2014–15 में 2861.918 लाख (अठाईस करोड़ एकसठ लाख एकान्वें हजार आठ सौ)रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वियन एवं तत्काल इसके अधीन 148.83 लाख (एक करोड़ अड़तालिस लाख तिरासी हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

विभागीय पत्र सं0– 9 / उपा0 / बीज / विविध–25 / 2014–1032 दिनांक 25.02.15 द्वारा केन्द्रीय योजना "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल" अन्तर्गत बीज ग्राम योजना रबी 2014–15 हेतु 2861.918 लाख (अठाईस करोड़ एकसठ लाख एकान्वें हजार आठ सौ)रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वियन की स्वीकृति एवं इसके अधीन 490.00 लाख (चार करोड़ नबे लाख) रूपये व्यय एवं निकासी की स्वीकृति दी गयी है।

स्वीकृत सीमा के अधीन तत्काल 148.83 लाख (एक करोड़ अड़तालिस लाख तिरासी हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

1. भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 8–8 (4) / 2014–SD.1 दिनांक 27.02.2015 द्वारा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 148.83 लाख रू0 विमुक्त किया गया है।

2. स्वीकृत राशि 148.83 लाख (एक करोड़ अड़तालिस लाख तिरासी हजार) रूपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 103– बीज मांग संख्या–1 उपशीर्ष–0417 गुणवत बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभुत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण विपत्र कोड S2401001030417 विषय शीर्ष– 31 06 सहायक अनुदान वेतानादि के अलावा में वर्ष 2014–15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि 148.83 लाख (एक करोड़ अड़तालिस लाख तिरासी हजार) रूपये की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी0टी0सी0–42 पर की जायेगी। स्वीकृत सहायक अनुदान मद की राशि बिहार राज्य बीज निगम को पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर कृषि निदेशक द्वारा विमुक्त की जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वितीय नियमावली अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक होंगे।

4. योजना कार्यान्वियन की शेष शर्त्ते पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश पत्र सं0–9 / उपा0 / बीज / विविध–25 / 2014–1032 दिनांक 25.02.15 में वर्णित कंडिका के अनुसार होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602, दिनांक–20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक–03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या–9/उपा0/बीज/विविध –25/2014 के पृ0सं0– 13/टि. पर दिनांक : 23.12.2014 को प्राप्त है।

6. वित विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–9/उपा0/बीज/विविध –25/2014 के पृ0सं0– 19 /टि. पर दिनांक– 27.03.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
27/3/15
(प्रभु राम)
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1557 /कृ0, पटना दिनांक–27-3–2015

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/15
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1557 /कृ0, पटना दिनांक–27-3–2015

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/15
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1557. /कृ0, पटना दिनांक–27-3-2015

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/15
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1557 /कृ0, पटना दिनांक–27-3–2015

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, पी0पी0एम0/निदेशक, बामेती/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णिया/बजट/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/15
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1557 /कृ0, पटना दिनांक–27-3–2015

प्रतिलिपिः– उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/3/15
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।